पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड					
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाईट : **http:/www.pfcindia.com**					
सीआईएन एल**65910**डीएल**1986**जीओआई**024862**					
दिनांक **30** जून **2017** को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण					
(करोड़ रू. में**)**					
विवरण		समाप्त होने वाले तिमाही के लिए			समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
		30.06.2017	**31.03.2017**	**30.06.2016**	**31.03.2017**
		(अनंकेक्षित**)**	**(**अंकेक्षित**)**	**(**अनंकेक्षित**)**	**(**अंकेक्षित**)**
1.	प्रचालन से प्राप्त राजस्व				
	ब्याज	**6779.82**	**5513.77**	**7072.05**	**26270.08**
	अन्य प्रचालनरत आय	**14.98**	**20.48**	**21.29**	**129.81**
	अन्य वित्तीय सेवाएं	**85.58**	**137.82**	**12.26**	**316.34**
2.	अन्य आय	**51.52**	**125**	**53.06**	**302.34**
3.	कुल आय **(1 + 2)**	**6931.9**	**5797.07**	**7158.66**	**27018.57**
4.	व्यय				
	वित्तीय लागत	**4156.17**	**4099.44**	**4285.99**	**16432.69**
	बांड इश्यू का व्यय	**5.77**	**8.96**	**6.95**	**26.58**
	कर्मचारी लाभ का व्यय	**38.44**	**34.43**	**25.26**	**114.97**
	प्रावधान	**392.21**	**4479.33**	**200.61**	**5101.08**
	निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान	**20.49**	**19.51**	**-26.94**	**-7.51**
	मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय	**1.19**	**1.64**	**1.18**	**5.56**
	सीएसआर व्यय	**149.21**	**0**	**166.15**	**166.15**
	अन्य व्यय	**15.02**	**16.6**	**9.3**	**67.79**
	पूर्वावधि मदें (निबल)	**0.01**	**0.39**	**0.22**	**1.47**
	कुल व्यय	**4778.51**	**8660.3**	**4668.72**	**21908.78**
5.	आपवादिक और असामान्य मदों और करों के पूर्व लाभ **(3-4)**	**2153.39**	**-2863.23**	**2489.94**	**5109.79**
6.	आपवादिक मदें	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	आपवादिक मदों और करों के पूर्व लाभ **(5-6)**	**2153.39**	**-2863.23**	**2489.94**	**5109.79**

8.	असाधारण मदें	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	कर पूर्व लाभ (**7-8**)	**2153.39**	**-2863.23**	**2489.94**	**5109.79**
10.	कर संबंधी व्यय				
	(1) चालू कर				
	चालू वर्ष	**737.48**	**656.59**	**661.6**	**3074.39**
	पूर्ववर्ती वर्ष	**0**	**13.03**	**0**	**-0.09**
	(2) आस्थगित कर देयता **(+) /** परिसंपत्ति (-)	**-12.68**	**-123.36**	**115.79**	**-90.9**
11.	प्रचालन जारी रहने से अब तक की अवधि के लिए लाभ (हानि) **(9-10)**	**1428.59**	**-3409.49**	**1712.55**	**2126.39**
12.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य **10** रू. है)	**2640.08**	**2640.08**	**1320.04**	**2640.08**
13.	पूनर्मूल्यांकित आरक्षित निधियों को छोड़कर आरक्षित निधियां (**31** मार्च की स्थिति के अनुसार अंकेक्षित तुलनपत्र के अनुसार)	**--**	**--**	**--**	**33830.13**
14.	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) **(**अंकित मूल्य **10/-** रू. प्रत्येक) (जिसे वार्षिक आधार पर निर्धारित नहीं किया गया)				
	(1) आधारभूत (`)	**5.41**	**-12.92**	**6.485**	**8.05**
	(2) तनुकृत (`)	**5.41**	**-12.92**	**6.485**	**8.05**
वित्तीय परिणामों के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें					
टिप्पणियां :-					
1	दिनांक **30.06.2017** को समाप्त तिमाही के लिए उपर्युक्त वित्तीय परिणामों, जो कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, **2006** के अनुसार तैयार किए गए हैं, की समीक्ष और सिफारिश निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और उनकी दिनांक **10.08.2017** को आयोजित की गई संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है।				

क. परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना :-

कंपनी नीचे दिए गए विशिष्ट दिशानिर्देशों के साथ समय-समय पर यथासंसोधित आरबीआई के " गैर बैंकिंग वित्ती य कंपनी - व्युवस्थित ढंग से महत्वचपूर्ण गैर जमा राशि लेने वाली कंपनी और जमा करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश **2016"** में निहित आरबीआईकी सर्वोपरि शर्तों का अनुसरण करती है।

1) परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी शर्तें

(i) परिसंपत्तियों के व्रर्गीकरण और एनपीए के प्रावधान के प्रयोजन से दिनांक **25.07.2013** के आरबीआई के पत्र के अनुरूप सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के निकायों को स्वीणकृत की गई सुविधाओं पर सरकारी क्षेत्र के ऋणों**,** जिन पर परियोजनावार आधार पर विचार किया जाता है से इतर ऋणकर्तावार आधार पर विचार किया जाता है बशर्ते कि प्रत्येसक परियोजना से नगदी प्रवाह की अलग से पहचान की जा सके और उसे उसी परियोजना के लिए लागू किया जाए।

(ii) आरबीआई के दिनांक **03.10.2016** के पत्र के अनुरूप:

(क) **31.03.2018** की स्थिति के अनुसार बकाया और तीन माह या उससे अधिक अवधि से देय ऋण परिसंपत्तियों (पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को छोड़कर) को गैर निष्पा दन वाली परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वर्ष के दौरान इनका वर्गीकरण **4** माह अथवा उससे अधिक अवधि के लिए देय की मौजूदा शर्त के आधार पर किया गया।

(ख) **31.03.2018** की स्थिति के अनुसार एनपीए**,** जो **12** माह से कम अवधि के लिए है**,** को उप मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वर्ष के दौरान किया गया ऐसा वर्गीकरण **14** माह तक की अवधि के लिए देय एनपीए के लिए मौजूदा शर्त पर आधारित होगा; और

(ग) **31.03.2018** की स्थिति के अनुसार बकाया और **12** माह तक की अवधि के लिए देय एनपीए को संदेहास्प द परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वर्ष के दौरान किया गया ऐसा वर्गीकरण **14** माह तक की अवधि के लिए देय एनपीए के लिए मौजूदा शर्त पर आधारित होगा।

(2) पुनर्गठन संबंधी शर्तें:

(i) आरबीआई ने अपने दिनांक **11.06.2014** के पत्र के माध्यरम से यह निर्देश दिया है कि **01.04.2015** से पुनर्गठित उत्पावदन कंपनियों के नए परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान की आवश्यतकता **5%** होगी और सभी उत्पाि‍दन कंपनियों के लिए **31.03.2015** की स्थिति के अनुसार ऐसे बकाया ऋणों के स्टॉ क के लिए दिनांक **31.03.2015** से **2.75%** के प्रावधान के साथ प्रोविजनिंग शुरू की जाएगी**,** जो दिनांक **31.03.2018** तक **5%** तक पहुंच जाएगी।

(ii) आरबीआई ने अपने दिनांक **11.04.2017** के पत्र के माध्यम से उल्लेख किया है कि किसी सरकारी क्षेत्र के खाते के मामले में यदि परियोजना ने वित्ती य समापन के समय यथा परिकल्पित डीसीसीओ (अथवा पुनर्गठित अग्रिमों के लिए आरबीआई की शर्तों में यथाविहित स्वीोकार्य सीमाओं के तहत संशोधित डीसीसीओ) के भीतर वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किया है**,** तो ऋण परिसंपत्ति का वर्गीकरण **31.03.2022** तक ऋणकर्तावार के बजाय परियोजनावार किया जाए।

2

	ख. क्रेडिट कंसंट्रेशन संबंधी शर्तें आरबीआई ने अपने दिनांक **16.06.2016** के पत्र के माध्यशम से केंद्र / राज्य् सरकार के निकायों को एक्सोपोजर के संबंध में छूट की सीमा **31.03.2022** तक बढ़ा दी है। इस प्रकार कंपनी केंद्र/राज्यं सरकार के निकायों के लिए विद्युत मंत्रालय **(**एमओपी) द्वारा यथानुमोदित क्रेडिट कंसंट्रेशन संबंधी शर्तों का अनुपालन करती रहेगी।
3	आरबीआई के दिनांक **11.06.2014** के पत्र के अनुरूप पारेषण और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा जीवनकाल विस्तार संबंधी परियोजनाओं के साथ-साथ हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं का विनियमन **31.03.2017** तक एमओपी द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन संबंधी शर्तों के अनुसार किया गया। तदनुसार इन ऋणों के संदर्भ में किए जाने वाले किसी भी भावी पुनर्गठन के लिए अब आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तें लागू हैं।
4	**(**क) उपर्युक्त **(4)** में निहित प्रावधानों में निम्नोलिखित शामिल हैं: **(i)** मानक परिसंपत्तियों की बकाया राशि पर चालू तिमाही के लिए **46.28** करोड़ रू. का मानक परिसंपत्ति प्रावधान (संगत पूर्ववर्ती तिमाही के लिए **(17.91)** करोड़ रूपए)**,. (ii)** पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों पर चालू तिमाही के लिए **94.62** करोड़ रू. का मानक परिसंपत्ति प्रावधान (संगत पूर्ववर्ती तिमाही के लिए **(107.57)** करोड़ रूपए)। **30.06.2017** की स्थिति के अनुसार अर्हता प्राप्तपुनर्गठित / पुन: अनुसूचित / फिर से मोलभाव किए गए (आर/आर/आर) बकाया ऋणों की राशि निजी क्षेत्र के लिए **18,090.09** करोड़ रू. है और सरकारी क्षेत्र में **36,504.98** करोड़ रूपए **(31.03.2017** की स्थिति के अनुसारर निजी क्षेत्र के लिए **19,445.92** करोड़ रूपए और सरकारी क्षेत्र के लिए **35,994.70** करोड़ रूपए) है**;** और **(iii)** चालू तिमाही के लिए गैर निष्पा दन वाली परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधान **251.31** करोड़ रूपए है (संगत पूर्ववर्ती तिमाही में **110.95** करोड़ रू.) है। **30.06.2017** की स्थिति के अनुसार सकल रूप से गैर निष्पा्दन वाली परिसंपत्तियों की राशि **31,515.80** करोड़ रू. है **(31.03.2017** की स्थिति के अनुसार **30,718.61** करोड़ रूपए) है। इन एनपीए में राज्यं क्षेत्र की कंपनियों को दिए गए **23,362.90** करोड़ रूपए **(31.03.2017** की स्थिति के अनुसार **23,309.30** करोड़ रूपए) के ऋण शामिल हैं**,** जिनका दिनांक **30.06.2017** की स्थिति के अनुसार कोई अधिदेय नहीं हैं**,** बल्कि उन्हेंर डीसीसीओ से संबंधित आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (ख) जहां तक आरबीआई की शर्तों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का संबंध है**,** तो चालू वर्ष के लिए लेखांकन नीति दिनांक **30.06.2017** को समाप्तर तिमाही में परिवर्तित की गई है**,** जिसके तहत प्रावधान को दिनांक **31.03.2017** को **0.35%** से बढ़ाकर **31.03.2018** तक **0.40%** तक करने की अपेक्षा है। तदनुसार दिनांक **30.06.2017** को समाप्ता तिमाही के लिए प्रो-राटा आधार पर प्रावधान किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही के लिए कर पूर्व लाभ **20.83** करोड़ रू. तक घट गया है। (ग) जहां तक आर/आर/आर ऋणों का संबंध है (सभी उत्पारदन कंपनियों के लिए **31.03.2015** की स्थिति के अनुसार बकाया ऋणों का स्टॉक)**,** जिनके संबंध में आरबीआई की शर्तों के अनुसार पुनर्गठन संबंधी प्रावधान लागू होते हैं**,** के संबंध में चालू वर्ष के लिए लेखांकन नीति दिनांक **30.06.2017** को समाप्त तिमाही में परिवर्तित की गई है**,** के लिए प्रावधान को **31.03.2017** की स्थिति के अनुसार **4.25%** से बढ़ाकर **31.03.2018** की स्थिति के अनुसार **5%**

	तक बढ़ाने की आवश्य कता है। तदनुसार दिनांक **30.06.2017** को समाप्तअ तिमाही के लिए प्रो-राटा आधार पर प्रावधान किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही के लिए कर पूर्व लाभ **99.65** करोड़ रूपए तक घट गया है। इसके अलावा आरबीआई की एसबीआर संबंधी शर्तों के अनुसार पुनर्गठित किसी ऋण परिसंपत्ति के मामले में कंपनी के लिए संदर्भित तारीख से **18** माह की अवधि समाप्तक होने तक बकाया अवशिष्ट ऋण पर कम-से-कम **15%** का प्रावधान करना आवश्यरक है। तदनुसार तिमाही के दौरान प्रो-राटा आधार पर **29.93** करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिससे कि दिनांक **31.01.2018** तक **15%** तक पहुंचाया जा सके। (घ) कंपनी ने उपर्युक्त् नोट **3** के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं के लिए आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों को अपनाया है (एमओपी द्वारा अनुमोदित शर्तों के स्थातन पर) और इस संबंध में लेखांकन नीति को दिनांक **01.04.2017** से परिवर्तित माना गया है। तदनुसार (**i) 383.37** करोड़ रूपए की एकीकृत बकाया राशि वाली तीन ऋण परिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तत्पतश्चा त तिमाही के दौरान : क) **6.65** करोड़ रूपए की ब्या ज से होने वाली संचित आय और जिसे वसूल नहीं किया गया है, को मान्य ता नहीं दी गई है और ख) ऐसे ऋणों पर **37** करोड़ रूपए का एक अतिरिक्ती प्रावधान किया गया है। **(ii) 521.83** करोड़ रूपए की बकाया राशि वाली मानक परिसंपत्ति को पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वीरूप **21.33** करोड़ रूपए की राशि का अतिरिक्तर प्रावधान करना पड़ा है। (ड.) उपर्युक्त् **4 (**क) नोट में किए गए प्रावधान में उपर्युक्त**i** नोट **4 (**ख), **(**ग) और (घ) में बताए गए प्रावधान का प्रभाव शामिल है।
5	दिनांक **15.04.2015** को कंपनी द्वारा उप मानक के रूप में वर्गीकृत की गई पुनर्गठित ऋण संपत्ति के मामले में ऋणकर्ता ने दिनांक **17.06.2015** के आदेश के जरिए माननीय उच्चव न्यायरयालय, मद्रास से इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई पर अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया था।कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में एक कानूनी दृष्टिकोण प्राप्ता किया था, जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति को वित्तीय वर्ष **2015-16** के दौरान पुनर्गठित उपमानक परिसंपत्ति के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया और तबसे कंपनी ने इसी प्रकार का परिसंपत्ति वर्गीकरण जारी रखा है। दिनांक **30.06.2016** को कंपनी ने अंतरिम स्टेर के आदेश को निरस्त करने के लिए एक याचिका दायर की। उपर्युक्त याचिका सुनवाई के लिए लंबित है और अंतरिम स्टेक चल रहा है। इसके अलावा कंपनी ने दिनांक **31.03.2017** को समाप्तग तिमाही से इस मद में किसी भी संचित आय, परंतु जिजसे वसूल नहीं किया गया है, को मान्य्ता नहीं दी है। उपर्युक्त के पश्चात**(i) 76.61** करोड़ रूपए के ब्याीज / उससे होने वाली आय, जो संचित हुई, परंतु जिसे वसूल नहीं किया गया, को चालू तिमाही के दौरान मान्युता नहीं दी गई है।**(ii)** मौजूदा परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर यथा लागू प्रावधान किया गया है, जो दिनांक **30.06.2017** की स्थिति के अनुसार **175.55** करोड़ रूपए (दिनांक **31.03.2017** की स्थिति के अनुसार **163.17** करोड़ रूपए) है ।**(iii)** उपर्युक्तक **(ii)** में दिए गए प्रावधान पर विचार करने के बाद दिनांक **30.06.2017** को **5,036.10** करोड़ रूपए (दिनांक **31.03.2017** की स्थिति के अनुसार **4,893.39** करोड़ रूपए) की बकाया ऋण राशि पर संदेहास्प**6**द के रूप में खाते को मानते हुए किए गए प्रावधान में **831.66** करोड़ रूपए की राशि (गत वर्ष **815.50** करोड़ रूपए) की राशि को मान्यपता नहीं दी गई।
6	कंपनी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा वाली धन संबंधी मदों पर उनकी कार्यावधि के दौरान विनिमय संबंधी अंतर को ऋणमोचित करती है। तत्परश्चात दिनांक **30.06.2017** की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा धन संबंधी मद परिवर्तन अंतर खाता (एफसीएमआईटीडीए) के तहत ऋणमोचित डेबिट बैलेंस **568.52** करोड़ रूपए **(**दिनांक **31.03.2017** की स्थिति के अनुसार डेबिट बैलेंस **647.56** करोड़ रूपए) है ।
7	डीपीई के दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **135** की अपेक्षा के अनुसार दिनांक **30.06.2017** को समाप्त तिमाही के दौरान निगमित सामाजिक उत्तंरदायित्वक से जुड़े कार्यकलापों के लिए वित्तीय वर्ष **2017-18** में **149.21** करोड़ रूपए (पिछली संगत तिमाही के दौरान **166.15** करोड़ रूपए) का प्रावधान किया गया है।

8	कंपनी द्वारा जारी किए गए और दिनांक **30.06.2017** की स्थिति के अनुसार बकाया सभी सुरक्षित बांडों के लिए विनिर्दिष्ट अचल संपत्तियों को बंधक बनाकर और/अथवा कंपनी से प्राप्त होने वाली राशियों पर प्रभार के रूप में **100%** सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।
9	चालू तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने अपनी दिनांक **08** जून **2017** की अधिसूचना के जरिए यह अधिसूचित किया है कि पीएफसी लिमिटेड द्वारा आयकर अधिनियम, **1961** की धारा **54**ईसी के अंतर्गत **15** जून **2017** को या उसके बाद जारी किए गए और तीन वर्ष के बाद रिडिम किए जाने योग्यि बांड को उपर्युक्तन धारा के अंतर्गत पूंजीगत लाभ में कर छूट के प्रयोजन से 'दीर्घावधि विनिर्दिष्ट परिसंपत्ति' के रूप में माना जाएगा। तदनुसार कंपनी ने दिनांक **03.07.2017** को एक ग्रीन शू ऑप्शमन के साथ **500** करोड़ रूपए की राशि के लिए **5.25%** प्रतिवर्ष की कूपन दर वाले प्रत्यौक **10** हजार रूपए के डिवेंचर के रूप में सुरक्षित, अपरिवर्तनीय, गैर संचित, रिडिम किए जाने योग्यं, कर योग्य. बांड के निजी प्रतिस्थापन के लिए आयकर अधिनियम **1961** की धारा **54** ईसी के अंतर्गत इश्यूय खोला है। यह इश्यू दिनांक **31.03.2018** अथवा कंपनी द्वारा यथा निर्धारित तारीख तक खुला रहेगा।
10	व्यापार फंड की पहचान निदेशक मंडल और प्रबंधन ढांचे को आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई प्रणाली के अनुसार की जाती है। कंपनी का प्राथमिक व्य वसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीधय सहायता प्रदान करना है, जिसे लेखांकन मानक-**17** के संदर्भ में केवल प्राथमिक व्यापार फंड के रूप में माना जाता है। अतः इस संबंध में खंडात्मनक रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।
11	दिनांक **30.09.2016** को समाप्त तिमाही के दौरान प्रत्येक **10** रूपए के एक इक्विटी शेयर के लिए प्रत्येकक **10** रूपए के इक्विटी शेयर के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के परिणामस्व**e**रूप प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत और तनुकृत) को संगत पूर्ववर्ती तिमाही के लिए समायोजित किया गया है।
12	संवर्ती अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए आवश्यतक होने पर पूर्ववर्ती अवधि के लिए आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

	राजीव शर्मा
स्थान : नई दिल्ली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दिनांक : **10.08. 2017**	डीआईएन **- 00973413**